न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

223RTA2020-00036Ju2020-15 Nasardeen Vs state

नसरदीन पुत्र छोटू खॉं फौत के कायम मुकाम:—
अल्ला बचाया पुत्र नसरदीन जातियान् मुसलमान(मंगलिया) निवासी— बापिणी, तहसील बापिणी, जिला फलोदी।

अपीलाण्ट्स...

ब

ना

म

01. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बापिणी, जिला फलोदी।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, फलोदी दिनांक 24 दिसंबर 2019 राजस्व वाद संख्या 62/2012 नसरदीन बनाम तहसीलदार

———— 0 ————

उपस्थित—
श्री रोशनलाल, अधिवक्ता—अपीलाण्ट
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट

नि र्ण य

दिनांक : 10 दिसंबर 2024

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर फलोदी द्वारा राजस्व वाद संख्या 62/2012 नसरदीन बनाम तहसीलदार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24 दिसंबर 2019 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत 04 फरवरी 2020 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी/वादी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 15, 88, 188 व 92—ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रसत भूमि खसरा नं. 213 रकबा 95.04 बीघा, खसरा नं. 214 रकबा 73.13 बीघा ग्राम बापिणी के संबंध में विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24 दिसंबर 2019 के जरिये वादी/अपीलार्थी का वाद खारिज कर दिया गया, जिसके विरूद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता—अपीलाण्ट्स ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन डिक्री व निर्णय विधि, विधान, संचिका, अभिलेख के तथ्यों एवं न्याय के विपरीत तथा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

इंसाफन व कानूनन गलत होने से निरस्त करने योग्य है। अपीलार्थी अनपढ, पशुपालक होने के कारण अक्सर गॉव से बाहर ही रहता है, इसलिए अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं कर सका तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता में दी गई प्रक्रिया की पालना किये बिना सीधे ही आलौच्य निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी। वादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर ही नहीं दिया गया है तथा प्रत्यर्थी का जवाब बंद किये जाने के कारण वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य रह जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद में विवाद बिंदु तय नहीं किया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्यों की अनदेखी करते हुए तथा प्रकरण में जल्दबाजी की नीयत से आदेश पारित किया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश अपास्त योग्य है। अगर वाद में तनकीयात कायम की जाती, साक्ष्य ली जाती तथा दस्तावे प्रदर्श करवाये जाते तो वादी का वाद अवश्य ही स्वीकार करने काबिल था। किसी भी न्यायालय की यह मंशा नहीं होनी चाहिए कि एक नियमित वाद को सरसरी दृष्टि से एक प्रार्थना पत्र के जरिये खारिज कर दे। उपरोक्त दृष्टि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। वादी अपने दावे को दस्तावेजी एवं जबानी शहादत से बखुबी साबित कर देते लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने वादी को बिना कोई साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिये बिना ही वाद को खारिज कर दिया गया, जबकि वादी का दावा हर सुरत में डिक्री किय जाना चाहिए था। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे तथा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि वादी के वाद में तनकीयात कायम की जाकर बाद साक्ष्य सुनवाई मामले का गुणावगुण पर पुनः निर्णय किया जावें।

जबाब में राजकीय अधिवक्ता–रेस्पो. ने कथन किया कि अपीलांट को एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है। अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष पर्याप्त साक्ष्य पेश नहीं किये गये हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित किया गया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के मुताबिक अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा वादी के वाद में प्रतिवादी की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं किया जाने पर उसका

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जवाब बंद कर वाद में तनकीयात कायमी उपरांत वादीगण को साक्ष्य प्रस्तुति का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये वादी के वाद को वादग्रस्त आराजी पर एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा वादी को दिया जाना विधिसम्मत नहीं मानकर खारिज कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा वाद विचारण प्रक्रिया के तहत बिना तनकीयात कायम किये तथा वादीगण का सुनवाई का अवसर प्रदान वाद खारिज किया जाना पाया जाता है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं है।

वस्तुतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री निर्धारित विधिक प्रकिया के अनुरूप अपीलांट को अवसर प्रदान किये बिना, बिना तनकीयात कायम किये, पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों का तर्कसंगत, विधिसम्मतः एवं न्यायोचित विवेचन एवं विश्लेषण किये बिना पारित किया जाना पाया जाता है। अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर फलोदी द्वारा राजस्व वाद संख्या 62/2012 नसरदीन बनाम तहसीलदार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24 दिसंबर 2019 खारिज किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण में तनकीयात कायम कर, पक्षकारान को विधिवत साक्ष्य का अवसर प्रदान किया जावे और इस प्रकार प्रस्तुत साक्ष्य सबूत का तर्कसंगत, विधिसम्मतः एवं न्यायोचित विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए तनकीवार निष्कर्ष पारित कर मूल वाद का निस्तारण किया जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर